शिमला केसरी
शुक्रवार FRIDAY 21 जून 2019

रिकांगपिओ में लगी पैंशन अदालत

रिकांगपिओ : रिकांगपिओ में आयोजित पैंशन अदालत की अध्यक्षता करते जिलाधीश किन्नौर गोपाल चंद। (स.ह.)

रिकांगपिओ, 20 जून (स.ह.): सेवानिवृत्ति के बाद पैंशन धारकों की समस्याओं के मामले में जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में दो दिवसीय पैंशन अदालत का आयोजन महालेखाकार कार्यालय की ओर से किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधीश किन्नौर गोपाल चंद ने की। इस अवसर पर महालेखाकार कार्यालय, जिला के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों सहित पैंशन कल्याण संघों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। जिलाधीश किन्नौर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय भत्तों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों को समय पर अदा करने के लिए कृतसंकल्प है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी पैंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर रनदीप कौर औजला उपमहालेखाकार ने जिलाधीश किन्नौर को सम्मानित करने के उपरांत जिला किन्नौर के विभिन्न विभागों से आए आहरण एवं वितरण अधिकारियों का पैंशन अदालत में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया। औजला ने कहा कि इस अदालत का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा पैंशन, पारिवारिक पैंशन, सामान्य भविष्य निधि, ऋण संबंधित समय-समय पर जारी संशोधित नियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों के बारे में चर्चा की जाएगी। उन्होंने पैंशन भोगियों, अभिदाताओं द्वारा मौके पर रखी गई समस्याओं एवं विभागों में पूर्ण दस्तावेज के अभाव में लंबित मामलों का यथासंभव निपटारा किए जाने का भी आश्वासन दिया।

दैनिक जागरण

जागरण सिटी शिमला

21 जून 2019

पेंशन भोगियों की हल होंगी समस्याएं : औजला

पेंशन अदालत की बैठक की अध्यक्षता करते उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ● जागरण

संवाद सहयोगी, रिकांगपिओ : जिला किन्नौर मुख्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। किन्नौर मुख्यालय में दो दिवसीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने की। इस मौके पर महालेखाकार कार्यालय, जिला के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, पेंशन कल्याण संघों के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय भत्तों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ को समय पर अदा करने के लिए कृतसंकल्प है। उप महालेखाकार रनदीप कौर औजला ने उपायुक्त को सम्मानित किया। औजला ने कहा कि इस अदालत का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा पेंशन, पारिवारिक पेंशन, सामान्य भविष्य निधि, ऋण संबंधित समय-समय पर जारी संशोधित नियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों के बारे में चर्चा करना है। उन्होंने पेंशन भोगियों, अभिदाताओं को निपटाने का आश्वासन दिया।

लेखाधिकारी हरीश जुल्का ने बताया कि जिन अभिदाताओं एवं पेंशन भोगियों द्वारा जो भी मामले प्रस्तुत किए जाएंगे उनका यथासंभव निपटारा किया जाएगा। इस मौके पर ओपी ठाकुर, हंसराज, तिलक राज, जुधिया राम व विजय कुमार ने भी पेंशन से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी दी।

दिव्य हिमाचल

शिमला किन्नौर प्लस

शिमला, शुक्रवार, 21 जून, 2019

सरकार को पेंशनर्ज की फिक्र

रिकांगपिओ के महालेखा कार्यालय में सजी पेंशन अदालत

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-रिकांगपिओ

सेवानिवृति के बाद पेंशन धारकों को किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरुवार जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में महालेखाकार कार्यालय द्वारा दो दिवसीय पेंशन आदालत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने की। इस अवसर पर महालेखाकार कार्यालय, जिला के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों, पेंशन कल्याण संघों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय

भतों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों को समय पर अदा करने के लिए कृतसंकल्प है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी पेंशन आदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर रनदीप कौर औजला, उपमहालेखाकार ने उपायुक्त किन्नौर को सम्मानित करने के उपरांत जिला किन्नौर के विभिन्न विभागों से आए आहरण एवं वितरण अधिकारियों का पेंशन अदालत में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया। औजला ने कहा इस अदालत का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा पेंशन, पारिवारिक पेंशन, सामान्य भविष्य निधी, ऋण संबंधित समय-समय पर जारी संशोधित नियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों के बारे में विस्तृत चर्चा जाएगी। उन्होंने पेंशन भोगियों, अभिदाताओं द्वारा मौके पर रखी गई समस्याओं एवं विभागों में पूर्ण दस्तावेज के आभाव में लंबित मामलों का यथासंभव निपटारा किए जाने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर हरीश जुल्का, लेखाधिकारी ने बताया कि जिन अभिदाताओं एवं पेंशन भोगियों द्वारा जो भी मामले प्रस्तुत किए जाएंगे उनका यथा संभव निपटान इस पेंशन अदालत के दौरान ही किया जाएगा। इस अवसर पर ओपी ठाकुर, हंसराज, तिलक राज, जुधिया राम व विजय कुमार लेखाधिकारियों ने भी पेंशन से संबधिंत विभिन्न मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

शिमला, शुक्रवार 21 जून, 2019

हिमाचल दस्तक

शिमला

पेंशन अदालत में निपटाए जाएंगे पेंशन भोगियों के लंबित मामले

हिमाचल दस्तक। रिकांगपिओ

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के मामलों को लेकर पेंशन धारकों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किन्नौर के मुख्यालय में वीरवार को महालेखाकार कार्यालय द्वारा दो दिवसीय पेंशन आदालत के आयोजन की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त किन्नौर, गोपाल चंद की।

पेंशन आदालत के अवसर पर महालेखाकार कार्यालय, जिला के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों, पेंशन कल्याण संघों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार

◆ **महालेखाकार कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन**

कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय भत्तों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों को समय पर अदा करने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी पेंशन आदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर रनदीप कौर औजला, उप-महालेखाकार ने उपायुक्त किन्नौर को सम्मानित करने के उपरांत किन्नौर के विभिन्न विभागों से आए आहरण एवं वितरण अधिकारियों का पेंशन अदालत में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया। इस अवसर पर हरीश जुल्का, लेखाधिकारी ने बताया कि जिन अभिदाताओं एवं पेंशन भोगियो द्वारा जो भी मामले प्रस्तुत किए जाएंगे उनका यथा संभव निपटान इस पेंशन अदालत के दौरान ही किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विभाग की और से प्रदेश के ढाई लाख पेंशनधारकों की फाइल को डीजिटल की है और आगे भी सरकार से बात कर पेंशन में और सुधार किया जाएगा। इस अवसर पर ओपी ठाकुर, हंसराज, तिलक राज, जुधिया राम व विजय कुमार लेखाधिकारियों ने भी पेंशन से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

अमर उजाला

रामपुर/रोहड़ू/किन्नौर

चंडीगढ़ शुक्रवार, 21 जून 2019

दो दिवसीय पेंशन अदालत में पेंशन धारकों की लंबित समस्याओं का होगा निपटारा

रिकांगपिओ में उपायुक्त ने किया शुभारंभ

रिकांगपिओ (किन्नौर)। उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन संबंधी मामलों में पेंशनधारकों को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो दिवसीय पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त रिकांगपिओ में वीरवार को महालेखाकार कार्यालय में दो दिवसीय पेंशन अदालत के आयोजन की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। इस दौरान महालेखाकार कार्यालय, जिला के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी और पेंशन कल्याण संघों के पदाधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे।

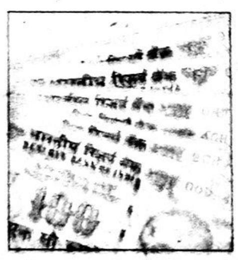

उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय भत्तों के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों को समय पर अदा करने के लिए कृत संकल्प हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उप-महालेखाकार रनदीप कौर औजला ने उपायुक्त किन्नौर को सम्मानित किया। औजला ने पेंशन भोगियों, अभिदाताओं की ओर से मौके पर रखी गई समस्याओं एवं विभागों में पूर्ण दस्तावेज के अभाव में लंबित मामलों का यथासंभव निपटारा किए जाने का आश्वासन दिया। वहीं लेखाधिकारी हरीश जुल्का ने बताया कि जिन अभिदाताओं एवं पेंशन भोगियों द्वारा जो भी मामले प्रस्तुत किए जाएंगे, उनका निपटारा इस पेंशन अदालत के दौरान ही करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। कार्यक्रम में महालेखाकार कार्यालय द्वारा हेल्प डेस्क लगाकर निर्धारित फॉर्मों, नामांकन पत्र, शिकायत निवारण प्रपत्र, पेंशन मामलों से संबंधित सभी प्रकार के फॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिससे पेंशन भोगी, सामान्य भविष्य निधि अभिदाता एवं आहरण व संवितरण अधिकारी आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर लाभान्वित हो सके और नियमों के अंतर्गत देय लाभ समय पर प्राप्त कर सके। इस मौके पर ओपी ठाकुर, हंसराज, तिलक राज, जुधिया राम और विजय कुमार मौजूद रहे। ब्यूरो

आपका फैसला
हिमाचल
शिमला, शुक्रवार, 21 जून, 2019

किन्नौर में दो दिवसीय पेंशन अदालत का आयोजन

रिकांगपिओ, (आपका फैसला)। सेवानिवृति के बाद पेंशन के मामलों को लेकर पेंशन धारकों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े इस उद्देश्य से की पूर्ति के लिए जिला किन्नौर के मुख्यालय में गुरुवार को महालेखाकार कार्यालय द्वारा दो दिवसीय पेंशन अदालत का आयोजन जिलाधीश की अध्यक्षता में किया गया। पेंशन अदालत के अवसर पर महालेखाकार कार्यालय, जिला के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों, पेंशन कल्याण संघों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों तथा सेवानिवृत कर्मचारियों को देय भतों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के सेवानिवृति के बाद मिलने वाले लाभों को समय पर अदा करने के लिए कृत संकल्प है। जिसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी पेंशन आदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर रनदीप कौर औजला, उप-महालेखाकार ने उपायुक्त किन्नौर को सम्मानित करने के उपरान्त जिला किन्नौर के विभिन्न विभागों से आए आहरण एवं वितरण अधिकारियों का पेंशन अदालत में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया। औजला ने कहा इस अदालत का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा पेंशन, परिवारिक पेंशन, सामान्य भविष्य निधी, ऋण संबंधित समय-समय पर जारी संशोधित नियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत चर्चा जाएगी। उन्होंने पेंशन भोगियों, अभिदाताओं द्वारा मौके पर रखी गई समस्याओं एवं विभागों में पूर्ण दस्तावेज के आभाव में लम्बित मामलों का यथासंभव निपटारा किए जाने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर हरीश जुल्का, लेखाधिकारी ने बताया कि जिन अभिदाताओं एवं पेंशन भोगियों द्वारा जो भी मामले प्रस्तुत किए जाएंगे, उनका यथा संभव निपटान इस पेंशन अदालत के दौरान ही किया जाएगा। इस अवसर पर ओपी ठाकुर, हंसराज, तिलक राज, जुधिया राम व विजय कुमार लेखाधिकारियों ने भी पैंशन से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।